न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील संख्या 12 / 2016

उनवान

रूपा देवी बनाम मनोज गंवारिया व अन्य

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्व भू अधिनियम

आदेश

दिनांक :– 23.12.2019

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष वकिल उपस्थित । जिन्हे राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व नामांतकरण संख्या 146 सपठित 147 जो सरपंच ग्राम पंचायत माकडवाली श्रीनगर अजमेर द्वारा दिनांक 6.5.2016 को स्वीकृत किया गया पर सुना गया । अपीलान्ट अभिभाषक ने दौरान वहस मे निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता भंवरा ताकि 4 व 5 के द्वारा जरिये पंजकृत विक्रय पत्र जरिये मुख्त्यारआम सुरेश कुमार पुत्र ओकारलाल अपीलान्ट के पक्ष में वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 292 रकबा 10 विस्वा व 294 रकबा 9 बिस्वा हाल खसरा संख्या 552 रकबा 0.08 व 586 रकबा 0.07 हैक्टर वाके ग्राम लोहागल बाबत निष्पाद्वित किया गया है। उक्त विक्रय पत्र में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व 3 के पिता भंवरा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 सम्पूर्ण आराजीयात 19 बिस्वा का बयनामा अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत दिनांक 24.4.2008 को कराया गया है जिसे उक्त दिनांक को ही पंजीकृत किया गया है इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता व 4, 5 द्वारा अपने विहित खातेदारी अधिकरो बाबत बयनामा अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका था जिसके द्वारा पुनः नामान्तकरण संख्या 146 भंवरा पुत्र छोगा फोत होने से दिनांक 06.05.16 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम स्वीकृत किया गया है जबकि उपरोक्त खातेदारान द्वारा दिनांक 24.4.08 को अपीलान्ट के पक्ष में विक्रय निष्पाद्वित किया जा चुका है। एवं विरासत नामान्तकरण संख्या 146 से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 3 द्वारा अंकन कराया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के साथ सम्मिलित रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में पश्चातवर्ती विक्रय पत्र के आधार पर होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 3 के पिता द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 के साथ सम्मिलित रूप से वादग्रस्त आराजीयात का बेयनामा अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकृत कराये जाने के उपरान्त उक्त पक्षकारान द्वारा नामान्तकरण संख्या 146 पुनः दिनांक 06.05.16 को स्वयं के नाम स्वीकृत कराया जाकर पंजीकृत बयनामा दिनांक 16.2.16 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम

Scanned by CamScanner

तस्दीक कराया गया है जो कि शून्य दस्तावेज होने से उक्त आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 147 भी निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 3 के पिता व 4 व 5 वादग्रस्त आराजीयात को अपीलान्ट के पक्ष में जरिये मुख्तयारआम बेचान किये जाने के उपरान्त पश्चावर्ती विकय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम निष्पादित किया गया है जो प्रारम्भतः शून्य होने से उक्त दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 147 दिनांक 6.5.16 निरस्त योग्य है। खातेदारान रेस्पोडेन्ट 2 व 3 के पिता भंवरा व 4 एवं 5 द्वारा स्वयं के खातेदारी अधिकारो को जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 24.4.2008 से अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किये जाने के उपरान्त उनके खातेदारी अधिकार वादग्रस्त आराजीयात से समाप्त हो जाते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर सरपच ग्राम पंचायत माकडवाली पंचायत समिति श्रीनगर अजमेर द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 146 दिनांक 6.5.2016 पश्चावर्ती दस्तावेज दिनांक 16.2.2016 के आधार पर स्वीकृत नामानतकरण संख्या 147 दिनांक 6.5.2016 निरस्त फरमया जावे एवं अपीलान्ट के नाम विकय पत्र दिनांक 24.4.2008 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट एक की ओर से श्री निर्मल कुमार जैन अधिवक्ता उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट 2 लगायत 6 नोटिस तामिल बावजूद गेर हाजिर होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थीया के द्वारा अपील नामान्तकरण संख्या 146 व 147 दिनांक 6.5.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई जबकि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 146 व 147 में अपीलार्थीया पक्षकार ही नही है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तकरण के विरूद्व अपीलार्थीया के द्वारा अपील प्रस्तुत करने के सदंर्भ में कोई अनुमति ही प्राप्त नही गई एवं अनुमति बाबत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. भी प्रस्तुत नही किया गया सिके अभाव में अपीलार्थीया की उक्त अपील निरस्त किये जाने योग्य है। विधि के सुस्थापित सिद्वान्त के अनुसार अपीलाधीन नामान्तकरण के विरूद्व अपीलार्थीया को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नही है तागि अपीला प्रस्तुत करने के बाबत अपील प्रस्तुत करने की कोई अनुमति ही प्राप्त नही की गई एवं अनुमति बाबत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया ताकि अनुमति आवेदन पत्र के अभाव में अपील संधारण किये जाने योग्य नही है। वकिल रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टात आरआरटी 2014–2015 पेज 411आरआरटी 2013 (1) पेज 659, आरआरटी 2013 (1) पेज 383 प्रस्तुत किये।

वकील अपीलान्ट द्वारा आवेदन पत्र प्राथमिक आपत्ति की प्रति दिनांक 17.4.2017 को प्राप्त किये जाने के बाद आज दिनांक तक उक्त प्राथमिक आपत्ति का कोई जबाव प्रस्तुत नही किया गया ।

Scanned by CamScanner

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी द्वारा नामान्तकरण संख्या 146 दिनांक 6.5.2016 एवं नामान्तकरण संख्या 147 दिनांक 6.5.2016 दो भिन्न–भिन्न नामान्तकरण की एक ही अपील प्रस्तुत की गई है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि दो नामान्तकरण अथवा दो आदेशो के एक अपील नही हो सकती इस सबंध में 2013 (1) आरआरटी 659 न्यायिक दृष्टांत सुसगत है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि दो आदेश की एक अपील संधारण योग्य नही है। रेस्पोडेन्ट आपत्तिकर्त्ता की विधिक आपत्ति न्यायोचित व उचित है। अपील अपीलान्ट की अपील इसी कानूनी बिन्दु पर खारिज योग्य है। इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है एवं ना ही अपील प्रस्तुति की स्वीकृति ली गई इस कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत भी अपील संधारण योग्य नही है। अतः रेस्पोडेन्ट आपत्तिकर्त्ता का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.4.2017 स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार अपील अपीलान्ट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अस्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.26 13:36:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: